तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 2004 / 4949 / श्रीगंगानगर** **इन्द्रपाल आदि बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–

श्री एल.के. पांडया अभिभाषक के ब्रीफ होल्डर श्री मनीष पांडया, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 22 अक्टूबर, 2019

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 20–8–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कानाराम पुत्र हुकमाराम को चक 71 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर–8 की 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि दिनांक 21–12–1964 को स्थाई आबंटित हुई थी। कानाराम द्वारा उक्त भूमि का विक्रय रामप्रताप को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 8–11–1968 के द्वारा कर दिया गया। कालांन्तर में रामप्रताप द्वारा यह भूमि अपीलार्थीगण को जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 12–11–1974 को विक्रय कर दी गई थी। अपीलार्थी तब से ही विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं। पूर्व में प्रकरण संख्या–5/1993 न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, श्रीगंगानगर में संस्थित किया गया था जिसमें कथन किया गया था कि उक्त विक्रय अनुसूचित जाति से सवर्ण जाति के सदस्य को किया गया है इसलिये न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 20–10–1994 के द्वारा भूमि को अधिग्रहण करने के आदेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 2004 / 4949 / श्रीगंगानगर** **इन्द्रपाल आदि बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रदान किये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील संख्या–6/1995 दर्ज की गई जिसका निर्णय दिनांक 25–8–1995 को किया गया जिसके द्वारा उक्त अपील खारिज कर दी गई। यद्यपि इस अपील में माना गया कि हस्तान्तरण अनुसूचित जाति से सवर्ण जाति के मध्य नहीं था लेकिन निर्धारित अवधि में नियमन हेतु नियमन शुल्क जमा नहीं होने के कारण अपील निरस्त कर दी गई। 3– उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई थी जो कि निर्णय दिनांक 17–9–1997 को स्वीकार कर ली गई और न्यायालय जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया गया कि राज्य सरकार के नियमन हेतु जारी किये गये आदेश दिनांक 22–2–1997 का लाभ प्रार्थीगण को दिया जाये। राज्य सरकार के उक्त आदेश के द्वारा राशि जमा कराने हेतु समयावधि दिनांक 31–12–1997 तक बढ़ा दी गई थी। उक्त आदेश के पश्चात प्रकरण पुनः जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 5–3–2002 द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में हुये हस्तान्तरणों को अवैध मानते हुये विवादित भूमि को राज्यहित में अधिग्रहीत करने के आदेश प्रदान कर दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–8–2004 के द्वारा निरस्त कर दी। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 30–8–2004 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 4– बहस उभयपक्ष सुनी गयी।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 2004 / 4949 / श्रीगंगानगर** **इन्द्रपाल आदि बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस की कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–8–2004 विधि विरूद्ध, दोषयुक्त एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि राजस्व मण्डल के निर्णय में जो निर्देश प्रदान किये थे वे अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी थे क्योंकि उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई अपील / रिट माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी थी। यदि राज्य सरकार माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय को विधिसम्मत नहीं मानती तो इसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर सकती थी। इस प्रकार राज्य सरकार ने भी राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत, न्यायसंगत तथा तर्कसंगत माना था इसलिये इसके विरूद्ध कोई अपील/रिट माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। 6– जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को केवल नियमन राशि जमा करवानी थी और विवादित भूमि को नियमित करना था लेकिन जिला कलेक्टर द्वारा राजस्व मण्डल के निर्णय को दरकिनार कर मनमाने तरीके से विवादित भूमि को अधिग्रहण करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये और अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने भी उक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपील खारिज कर दी। राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 17–9–1997 में स्पष्ट निर्देश प्रदान कर दिये थे कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22–2–1997 के अनुसार नियमन राशि जमा करवा लिया जाना उचित है किन्तु उक्त निर्देशों की पालना करना राजस्व मण्डल के निर्देशों की अवहेलना का प्रतीक है। अधीनस्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 2004 / 4949 / श्रीगंगानगर** **इन्द्रपाल आदि बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अपीलार्थीगण द्वारा जो नियमन राशि जमा करवाई गई है वह राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22–2–1997 के अनुसार ही जमा करवाई गई है जिसे मान्यता प्रदान की जानी चाहिये थी। उन्होंने आगे बहस की कि अपीलाधीन आदेश इस बिन्दु पर भी निरस्त किये जाने योग्य है कि इस प्रकरण में भूमि अधिग्रहण योग्य नहीं है क्योंकि धारा–13(1) के प्रावधानों की प्रभावशीलता समाप्त कर दी गई है। अपने तर्को के समर्थन में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

(1) **आरआरडी–2002 पेज–654**
(2) **आरआरडी–2004 पेज–553**
(3) **आरआरडी 14–1–2019 पेज–56**

7– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर का आदेश विधिसम्मत है और अपीलार्थीगण की अपील भी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने खारिज कर दी है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती हैं। अतः अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

8– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदरपूर्वक परिशीलन किया गया।

9– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कान्हाराम पुत्र हुकमाराम जाति विश्नोई को ग्राम 71 L.N.P. मुरब्बा नम्बर–8 के खसरा नम्बर–13 रकबा 1 बिस्वा, 14 रकबा 8 बिस्वा, 15 रकबा 17 बिस्वा, 16 रकबा 1 बीघा, 17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 2004 / 4949 / श्रीगंगानगर** **इन्द्रपाल आदि बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रकबा 1 बीघा, 18 रकबा 19 बिस्वा, 19 रकबा 11 बिस्वा, 20 रकबा 2 बिस्वा, 21 से 25 प्रत्येक में 1 बीघा किता 13 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा दिनांक 21–12–1964 को आबंटित हुई। जमाबन्दी संवत 2019–22 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर पर कान्हा पुत्र हुकमा जाति विश्नोई साकिन 7 L.N.P. पुख्ता अलॉटी दर्ज है। उक्त भूमि का विक्रय जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 8–11–1968 को रामप्रताप जाति विश्नोई को किया गया। रामप्रताप ने उक्त भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अपने पुत्र एवं अपीलार्थीगण इन्द्रपाल, रामेश्वर एवं पृथ्वीराज को दिनांक 12–11–1974 को कर दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–42(A) के तहत प्रावधानों के अनुसार उक्त विक्रय फ्रेग्मेन्टेशन की श्रेणी में आने के कारण राजस्थान कोलोनाईजेशन अधिनियम की धारा–9 व 13A(1)(1A) के तहत नियमन नहीं किया जा सका। इसी बीच तहसीलदार, पदमपुर की रिपोर्ट दिनांक 16–6–1984 के अनुसार उक्त बेचान को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–42(B) के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्ति को करना बताया जिस पर प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर में संस्थित किया गया। उक्त प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 28–10–1994 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–42(B) के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर विवादित भूमि को राज्य सरकार में अधिग्रहण करने के आदेश प्रदान कर दिये। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण अपीलार्थी ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 2004 / 4949 / श्रीगंगानगर** **इन्द्रपाल आदि बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 25–8–1995 के द्वारा उक्त बेचाननामों को अनुसूचित जाति से सवर्ण जाति का नहीं मानकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–42(B) का उल्लंघन नहीं माना, लेकिन विक्रय को नियमित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा घोषित अंतिम तिथि 31–3–1994 तक नियमन हेतु फीस जमा करवानी थी लेकिन अपीलार्थी द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक न तो निर्धारित फीस जमा कराई गई थी और न ही ऐसी कोई फीस जमा करवाने हेतु कोई अर्जी प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि :–

''अपीलकृत आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि वादग्रस्त भूमि का बेचान हरिजन से सवर्ण व्यक्ति के मध्य हुआ है एवं साथ ही यह माना गया है कि नियमन फीस जमा करवाने की अन्तिम दिनांक 31–3–1994 थी। लायक वकील अपीलान्ट का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण अनुसूचित जाति से सवर्ण जाति के मध्य नहीं हुआ क्योंकि कानाराम से यह भूमि रामप्रताप ने खरीदी थी, रामप्रताप से वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट्स ने खरीदी है। कानाराम व रामप्रताप जाति से विश्नोई हैं। जहां तक कानाराम के अनुसूचित जाति होने या नहीं होने का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि कानाराम आवंटी अनुसूचित जाति का सदस्य था अतः अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि यह भूमि अनुसूचित जाति से सवर्ण जाति के मध्य हस्तान्तरण हुई है, मानने योग्य नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स द्वारा नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें कानाराम विश्नोई दर्ज है। अतः यह मानना कि धारा–42(B) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत दर्ज है, उचित नहीं है।

जहां तक धारा–13 के उल्लंघना का प्रश्न है, राजस्थान उपनिवेशन आदेश की धारा–13 में यह प्रावधान है कि कोई भी खातेदार बिना पूर्व स्वीकृति के भूमि का हस्तान्तरण नहीं कर सकता एवं धारा में यह भी प्रावधान है कि यदि बिना स्वीकृति के हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो कलेक्टर ऐसी भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में रिज्युम कर सकता है, आबंटी कानाराम द्वारा वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण 21–12–1964 को रामप्रताप को किया है, रामप्रताप ने भूमि का हस्तान्तरण अपीलान्ट्स के हक में 12–11–1974 को किया गया। उस समय धारा–13 के उक्त प्रावधान प्रभावशील थे। इस बाबत कोई विवाद नहीं है। धारा–13ए के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि यदि कोई हस्तान्तरण धारा–13 के अन्तर्गत बिना स्वीकृति प्राप्त कर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 2004 / 4949 / श्रीगंगानगर** **इन्द्रपाल आदि बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जाता है तो ऐसे हस्तान्तरण को जिला कलेक्टर द्वारा हस्तान्तरित व खरीददार द्वारा समय अवधि में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर जिला कलेक्टर द्वारा नियमित किया जा सकता है। भूमि का हस्तान्तरण धारा–13 के प्रावधानों के विपरीत हुआ है तो धारा–13ए के अन्तर्गत ऐसा हस्तान्तरण तभी नियमित किया जा सकता है जबकि सम्बन्धित पक्षकार द्वारा समय अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो। लायक वकील अपीलान्ट का इस बाबत कोई विवाद नहीं है कि उक्त समय अवधि 31–3–1994 तक थी एवं उसके पश्चात बढ़ाई नहीं गई है। अपीलान्टस द्वारा दिनांक 31–3–1994 तक कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया हो, ऐसा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं है साथ ही धारा–13ए के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि हस्तान्तरण का नियमन शमन फीस के भुगतान की शर्त के साथ ही किया जा सकता है एवं ऐसी राशि समान किश्तों में देय होगी जिसमें प्रथम किश्तें प्रार्थना पत्र के साथ ही दी जायेगी। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट का कोई प्रार्थना पत्र धारा–13ए के अन्तर्गत संलग्न नहीं है किन्तु यदि यह मान भी लिया जावे कि उनके द्वारा हस्तान्तरण विधिमान्य घोषित करवाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र दिया भी गया है तो यह तथ्य तो स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि दिनांक 31–3–1994 तक अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि को विधिमान्य घोषित करवाने हेतु नियमन शमन फीस की प्रथम किश्तें की राशि जमा नही करवाई गई है जो कि प्रार्थना पत्र के साथ ही जमा करवाई जानी थी। इस प्रकार दिनांक 31–3–1994 तक अपीलान्टस द्वारा धारा–13ए के प्रावधानों के अनुसार कोई शमन फीस जमा नहीं करवाई गई है। अतः यह माना जायेगा कि इस तारीख तक अपीलान्टस द्वारा वादग्रस्त भूमि के हस्तान्तरण को विधिमान्य घोषित किये जाने हेतु नियमानुसार कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, इस बाबत कोई विवाद नहीं हे कि हस्तान्तरण को विधिमान्य घोषित करवाने हेतु दिनांक 31–3–1994 के पश्चात कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया जा सकता एवं चूंकि दिनांक 31–3–1994 से पूर्व अपीलान्टस द्वारा न तो हस्तान्तरण को विधिमान्य घोषित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया एवं न ही प्रार्थना पत्र के साथ शमन फीस 1/4 राशि जमा करवाई। अतः ऐसी स्थिति में दिनांक 31–3–1994 के पश्चात इस भूमि को विधिमान्य घोषित किये जाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है अब इस हस्तान्तरण को विधिमान्य घोषित किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस भूमि को बहक सरकार रिज्युम किये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था क्योंकि धारा–13 के अन्तर्गत शमन फीस जमा करवाने की अवधि निकल चुकी है। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण अनुसूचित जाति से सवर्ण जाति के मध्य में माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निष्कर्ष मानने योग्य नहीं है कि किन्तु उपर दिये गये विवेचन के अनुसार भूमि का हस्तान्तरण सवर्ण से सवर्ण के बीच होने के पश्चात भी इस मामले में चूंकि हस्तान्तरण न तो अभी तक विधिमान्य घोषित किया गया है एवं न ही इसको विधिमान्य घोषित किये जाने का प्रार्थना पत्र अब प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नियमों में है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जो भूमि को बहक सरकार लिये जाने का आदेश दिया है, वह उचित है।''	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / एल.आर. / 2004 / 4949 / श्रीगंगानगर</u>** **इन्द्रपाल आदि बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	10– इस प्रकार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने विक्रय को अनुसूचित जाति से सवर्ण जाति का नहीं माना, लेकिन धारा–13A(1)(1A) के तहत नियमन राशि जमा नहीं करवाने एवं निर्धारित तिथि 31–3–1994 निकल जाने के कारण नियमन योग्य नहीं मानकर अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट ने द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की। राजस्व मण्डल में उक्त अपील में राज्य सरकार के नोटिफिकेशन पर विस्तृत विवेचना करते हुये अपने निर्णय में अंकित किया कि फीस जमा करवाने की तिथि 31–12–1997 तक बढ़ाई जा चुकी है। इसका लाभ अपीलार्थीगण को प्राप्त हो सके इसलिये राजस्व मण्डल ने निर्णय दिनांक 17–9–1997 को पारित कर दिया जिससे अपीलान्ट निर्धारित तिथि तक नियमन राशि जमा करवा सके। 11– राजस्व मण्डल में प्रकरण संख्या–156/1995 में राजकीय अभिभाषक ने समस्त तथ्यों को स्वीकार करते हुये केवल इस बात पर अपनी आपत्ति प्रकट की थी कि विवादित भूमि का कब्जा यदि राज्य सरकार के पास हो एवं इसे आगे आबंटित नहीं किया गया हो तो नियमन किया जा सकता है। राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 17–9–1997 में पैरा संख्या–7 व 8 में अंकित किया गया है कि :– **7. The learned advocate for the State Government mentioned in the court that the directions as desired by the learned advocate of the appellant in para 4 may be given only with the condition that if the land in dispute is not taken in possession by the State Government and is not further allotted to other persons.** **8. After viewing all the facts and**	

circumstances of this case and after considering the arguments of both the learned advocates, I accept the application of applicant dated 8-9-1997 and hear the arguments of both the learned counsels in detail, Secondly, I order to quash the order of both lower courts and remand this case file to the collector, Sri. Ganganagar to allow the appellant to avail the facility under the light of the Government notification No. F.4(27)Rev./UP/84/Part. S.O. 290 dated 22-2-1997 as mentioned above in this judgment of course the rider as requested by the Government Advocate as per para No. 4 will honoured by the Distt. Collector that if the land in dispute is already in possession of the State Government as per resumption order of the A.D.M., Sri.Ganganagar dated 28-10-1994. This order will automatically become infructuous.

12– उक्त निर्णय के उपरान्त प्रकरण जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर में प्रतिप्रेषित कर दिया गया। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार, पदमपुर से कब्जे बाबत रिपोर्ट ली गई और तहसीलदार, पदमपुर ने अपने पत्र क्रमांक 206 दिनांक 21–3–1998 के द्वारा निम्न कब्जा रिपोर्ट प्रेषित की :–

विषय : धारा–13 पृष्ठ संख्या–97 सरकार बनाम कानाराम।

महोदय, विषयान्तर्गत आपके पत्रांक सी.जी. वाच./13ए/97/1358 दिनांक 16–1–1997 के सन्दर्भ में निवेदन है कि चक 7/2009 के मुरब्बा नम्बर–8 का 9 बीघा 19 बिस्वा रकबा जमाबन्दी में रकबाराज है लेकिन पूर्व से कानाराम पुत्र हुक्माराम बिश्नोई साकिन गैर खातेदार के नाम से दर्ज था वर्तमान में उक्त खातेदार रामेश्वर, पृथ्वीराज, इन्द्रपाल पिसरान रामप्रताप, जाति बिश्नोई सा. 71 LNP काबिज है। इसके पास मुताबिक रिपोर्ट पटवारी रजिस्ट्री होना बताया है। रिपोर्ट पटवारी की विस्तृत प्रति संलग्न है।

13– इसी बीच अपीलार्थीगण ने दिनांक 30–12–1997

को जरिये चालान निर्धारित नियमन राशि जमा करा दी। राजस्व मण्डल के निर्णय में दिये गये निर्देश एवं अपीलार्थीगण द्वारा जमा कराई गई नियमन राशि के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को उक्त बेचान नियमित करने चाहिये थे लेकिन उन्होंने राजस्व मण्डल के निर्णय को दरकिनार कर विवादित भूमि को अधिग्रहण करने के आदेश दिनांक 5–3–2002 को पारित कर दिये जो कि विधि के सिद्धान्तों के विपरीत थे। उक्त निर्णय के विरूद्ध एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई किन्तु उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20–8–2004 के द्वारा अपील खारिज कर दी।

14– वस्तुतः राजस्व मण्डल के निर्णय के अनुसार जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को केवल यह देखना था कि क्या उक्त भूमि का कब्जा अपीलार्थीगण के पास है अथवा राज्य सरकार के पास है। तहसीलदार, पदमपुर की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया गया था कि कब्जा अपीलार्थीगण के पास ही है तो जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को उक्त विक्रय को नियमित करना चाहिये था। अपीलार्थीगण ने नियमन राशि भी दिनांक 30–12–1997 को जमा करा दी थी। इसके पश्चात विवादित भूमि जो कि विगत 28 वर्षो से अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में थी उसे अधिग्रहण करने के आदेश को विधिसम्मत करार नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय को भी विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 2004 / 4949 / श्रीगंगानगर** **इन्द्रपाल आदि बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

15– राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा–13A-1(1-A) के प्रावधान निम्न प्रकार है :–

1(1A) Where an allottee, in whom khatedari rights have not been vested, even after seven years of allotment, under condition 9 of General Colony Conditions, has transferred the land allotted to him or any, right therein, in contravention of sub-sec. (1) of section 13 of this Act, before the commencement of the Rajasthan Colonisation (Amendment) Ordinance, 1988 (Ordinance No. 9 of 1988) the Collector on receiving an application from the allottee and the purported transferee in this behalf, in the prescribed form, within 297 days of the commencement of the Rajasthan Colonisation (Amendment) Ordinance, 1988 (Ordinance No. 9 of 1988) of within such period, as may be extended by the Government from time to time may subject to the provision of Sc. 42 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Raj. Act No.3 of 1955), declare such transfer valid after holding such enquiry as he deems proper, subject to payment of all dues of the State Government by the transferee and also subject to the payment of sum of Rs. 50,000/- per 25 bighas to the State Government in case of irrigated or command land a sum of Rs. 10,000/ per 25 bighas in case of barani or uncommand land in four half yearly equal instalments. Such transferee, shall thereafter be entitled to khatedari rights under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act No. 2 of 1955) :

Provided that where any of the aforesaid persons pays to the State Government the entire compounding fee in one lump-sum along with his application and within the period specified in this sub- section, the amount of compounding fee payable by him shall be deemed to be 25 % persent less than provided therein.

Explanation - For the purposes of this sub-section, -

(a) "allottee" means the person to whom land has been allotted on price under the rules made under this Act; and

(b) "dues" in relation to the land allotted, shall include unpaid price of such land and such other dues are required under law to be paid the allotted."

16- अपीलार्थीगण ने दिनांक 22-10-1997 को जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें राशि जमा करवाने की प्रार्थना की गई और दिनांक 30-12-1997 को राशि जमा करवा दी गई। इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा नियम-13A(1)(1A) के प्रावधानों के अनुसार राशि जमा करवाई जा चुकी है।

17- अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 14-1-2019 पेज-56 निहालचन्द बनाम राजस्थान सरकार इस प्रकरण पर पूर्णरूपेण लागू होता है। इस निर्णय में राजस्व मण्डल ने निम्न अभिमत प्रकट किया है :-

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 53 के मुरब्बा नम्बर-34 की 16 बीघा 13 बिस्वा भूमि मु. माना विधवा मंगतराम कुम्हार को दिनांक 29-11-1972 को आबंटित की गई, जिसमें से 05 बीघा भूमि आबंटी द्वारा दरबारासिंह पुत्र खुम्मण सिंह को जरिये इकरारनामा दिनांक 1-1-1975 से विक्रय की। तत्पश्चात आबंटी द्वारा विक्रय से इन्कार करने पर दरबारासिंह ने सिविल न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय दरबारासिंह के पक्ष में दिनांक 27-7-1981 को पारित किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 27-9-1996 को विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया गया। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि के इकरारनामें से अन्तरण को विधिमान्य घोषित नहीं कराने के कारण भूमि बहक सरकार अधिग्रहण के आदेश दिनांक 24-11-1987 को पारित किये गये। इस निर्णय के विरूद्ध दरबारासिंह ने राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 19-12-1988 से स्वीकार कर आदेश दिनांक 24-11-1987 को निरस्त कर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में दरबारासिंह ने विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 26-12-1988 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शमन फीस जमा करवाने की प्रार्थना की तथा उक्त 05 बीघा भूमि की शमन फीस 7500/- रूपये एक मुश्त जरिये चालान नम्बर-110 दिनांक 26-12-1988

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 2004 / 4949 / श्रीगंगानगर** **इन्द्रपाल आदि बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जमा करवाई गयी, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि प्रकरण संख्या–88 धारा–13ए सरकार बनाम माना चक 53 एनपी के मु.नं. 34 की 05 बीघा नहरी भूमि का उल्लेख है। उक्त से स्पष्ट है कि विवादित आराजी के प्रथम क्रेता दरबारासिंह के पक्ष में हुये विक्रय विलेख के नियमितीकरण हेतु एक मुश्त शमन फीस 7500/–रूपये जमा करवाई जा चुकी थी तथा प्रार्थना पत्र के साथ दरबारासिंह द्वारा प्रस्तुत चालान संख्या–110 दिनांक 26–12–1988 की असल प्रति प्रस्तुत की, जिस पर अतिरिक्त जिलाधीश (सतर्कता) श्रीगंगानगर के हस्ताक्षर भी हैं। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी दरबारासिंह द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11–3–1998 से अपीलार्थी निहाल सिंह को विक्रय की गयी। प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने दरबारासिंह द्वारा शमन फीस जरिये चालान एक मुश्त जमा करवाई गई राशि बाबत कोई विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्र जारी कर वर्ष 1991 से पूर्व के धारा–13ए के उल्लंघन में किये गये विक्रय पत्रों को नियमित किये जाने की अवधि दिनांक 31–12–2009 तक बढ़ाई जाती रही है। प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित आराजी के प्रथम क्रेता दरबारासिंह द्वारा धारा–13ए के उल्लंघन में किये गये विक्रय पत्र को नियमित करने बाबत एक मुश्त शमन फीस की राशि 7500/–रूपये जमा करवाया जाना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में दरबारासिंह के पक्ष में निष्पादित इकरारनामा एवं विक्रय पत्र नियमन किये जाने योग्य था। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त में भी इसी आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि निर्धारित समयावधि में शमन फीस की राशि जमा करवाये जाने पर धारा–13ए के उल्लंघन में किये गये विक्रय विलेख को नियमित किया जा सकता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। **8. परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–9–2004 एवं जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–4–2002 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दरबारासिंह द्वारा जरिये चालान संख्या–110 दिनांक 26–12–1988 से एक मुश्त जमा शमन फीस की राशि 7500/–रूपये का समायोजन करते हुये राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा–13ए(1ए) के तहत प्रकरण में नियमन बाबत कार्यवाही की जावे।''** 18– फलतः राजस्व मण्डल के उपर्युक्त विवेचन एवं अभिमत के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 2004 / 4949 / श्रीगंगानगर** **इन्द्रपाल आदि बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 30–8–2004 एवं न्यायालय जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 5–3–2002 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण न्यायालय जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा–13A-1(1-A) के तहत प्रकरण में नियमन बाबत कार्यवाही करावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (**हरि शंकर गोयल**) **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / एल.आर. / 2004 / 4949 / श्रीगंगानगर</u>** **इन्द्रपाल आदि बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए